

mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Indigo export/732/914

भोपाल, दिनांक 15/01/2025

प्रति,

INDIGRO EXPORTS PRIVATE LIMITED,
5TH FLOOR, 504-505, SHAPATH-V,
S.G. HIGHWAY, OPP. KARNAVATI CLUB,
AHMEDABAD, GUJARAT-380058
GSTIN - 24AADC10957J1ZK

विषय - मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में।

संदर्भ - आपका आवेदन दिनांक 12.08.2024

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के तहत विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु INDIGRO EXPORTS PRIVATE LIMITED से संदर्भित आवेदन प्राप्त हुआ है।

2. संदर्भित आवेदन के माध्यम से निम्न विनिर्दिष्ट मंडियों के क्षेत्रान्तर्गत अधिसूचित कृषि उपज - "धान्य तथा दलहन" का कारोवार करने हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है-

क्र	मंडी समिति का नाम	क्रय की जाने वाली कृषि उपज का समूह
1	बैतूल	"धान्य तथा दलहन"
2	नसरुल्लागंज	"धान्य तथा दलहन"
3	खरगोन	"धान्य तथा दलहन"
4	धामनोद	"धान्य तथा दलहन"
5	गुना	"धान्य तथा दलहन"
6	अशोकनगर	"धान्य तथा दलहन"
7	छिन्दवाडा	"धान्य तथा दलहन"
8	सिवनी	" "धान्य तथा दलहन"
9	कसरावद (निमरानी उपमण्डी)	"धान्य तथा दलहन"

3. आवेदन पर विचारोपरांत अधिसूचित प्राधिकारी प्रबंध संचालक महोदय द्वारा INDIGRO EXPORTS PRIVATE LIMITED को नियम 2009 के तहत उक्त बिंदु 2 में अंकित मंडी क्षेत्रों के लिए विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत करने का विनिश्चय किया गया है। विशेष अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र एवं संलग्नक प्रसारित किया जा रहा है। संलग्नक में अनुमोदित क्रय केंद्रों की सूची संलग्न है जोकि उक्त विशेष अनुज्ञप्ति का भाग होगी। उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित कर अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।


4. नियम 2009 के नियम 6 के अधीन प्रतिभूति स्वरूप बैंक गारंटी/ एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा। कृषकों को कृषि उपज का नियत समयसीमा में पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होगा।

5. क्रय केंद्र स्थापना के संबंध में नियम 2009 के नियम 8(6) तथा नियम 8(7) के प्रावधान लागू होंगे तथा क्रय केंद्र पर नियम 10 के अधीन प्रसुविधाओं का सृजन करना अनिवार्य होगा।

6. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किर्या जाना बंधनकारी होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)

संलग्न - उपरोक्तानुसार।


15/01/25
संयुक्त संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./Indigo export/732/915


भोपाल, दिनांक 15/01/2025

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय _____ (समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियों का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाए।

2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति _____ जिला _____, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी INDIGRO EXPORTS PRIVATE LIMITED, AHMEDABAD भोपाल को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति की ई-अनुज्ञा पोर्टल में आवश्यक प्रविष्टि की जाए।


15/01/25
संयुक्त संचालक
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधिसूचित प्राधिकारी/अधिकारी कार्यालय
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

प्ररूप - तीन
(नियम 9 देखिए)

एक से अधिक मंडी क्षेत्रों में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार के लिए विशेष
अनुज्ञप्ति

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2025/ 53

दिनांक 15/01/2025

श्री/श्रीमती/कुमारी/मेसर्स INDIGRO EXPORTS PRIVATE LIMITED, 5TH FLOOR,
504-505, SHAPATH-V, S.G. HIGHWAY, OPP. KARNAVATI CLUB, AHMEDABAD,
GUJARAT-380058 को अधिनियम की धारा 32-क के अधीन निम्नांकित एक से अधिक मंडी क्षेत्र
में अधिसूचित कृषि उपज के कारोबार हेतु तारीख माह..... वर्ष 2025 तक विशेष
अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाती है :-

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारोबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारोबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारोबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
संलग्न सूची - परिशिष्ट - 1 अनुसार.						

2. इस अनुज्ञप्ति के अधीन अनुज्ञप्तिधारक के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह वित्तीय वर्ष में समस्त क्रय केंद्रों में मिलाकर नीचे यथा दर्शित अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम मात्रा क्रय करे :-

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्रय की जाने वाली न्यूनतम मात्रा {मीट्रिक टन में {नियम 4 (2) देखिए}}
1	"धान्य तथा दलहन"	2000 मीट्रिक टन

3. अनुज्ञप्तिधारी, इस अनंतिम अनुज्ञप्ति के दिए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर विनिर्दिष्ट क्रय केंद्र पर निम्नलिखित प्रसुविधाएं सृजित करेगा :-

- (एक) इलेक्ट्रॉनिक वे ब्रिज
- (दो) पेयजल की समुचित व्यवस्था
- (तीन) समुचित प्रकाश व्यवस्था
- (चार) पुरुष/महिला के लिए शौचालय की सुविधा
- (पांच) शेड की व्यवस्था
- (छह) कृषकों के लिए छायादार विश्राम स्थल

- (सात) भुगतान काउंटर
- (आठ) ट्रेक्टर ट्राली की पार्किंग की समूचित व्यवस्था
- (नौ) नमी, कचरा, क्षतिग्रस्त दानों के प्रतिशत के निर्धारण के लिए उपकरण तथा मानव शक्ति
- (दस) प्रवेश, विक्रय-क्रय, भुगतान तथा तौल काउन्टरों/ क्षेत्रों पर सीसीटीवी कैमरे स्थापना
- (ग्यारह) क्रय-विक्रय लेखा की मैन्युअल के साथ ही डिजीटल बैकअप प्रणाली संधारण.

एक्सचेंज अनुज्ञप्तिधारक के मामले में -

- (एक) इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफार्म
- (दो) उपयुक्त उपकरण के साथ श्रेणीकरण किस्म परीक्षण तथा प्रमाणीकरण सुविधा.
- (तीन) सुपुर्दगी केंद्र

विनिर्दिष्ट क्रय केंद्रों में से किसी क्रय केंद्रों में प्रथम वर्ष की समाप्ति पर उपरोक्त प्रसुविधाओं को सृजित करने में असफल रहने पर, एक वर्ष के लिए दी गई अनंतिम विशेष अनुज्ञप्ति को ऐसे क्रय केंद्र के लिए आगामी वर्षों के लिए नियमित नहीं किया जाएगा.

4. यह विशेष अनुज्ञप्ति दिनांक 15 / 01 / 2025 से 14 / 01 / 2026 तक प्रभावशील रहेगी, परंतु अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों एवं उपविधियों के उल्लंघन पर किसी भी समय निलंबित या रद्द की जा सकेगी.

5. यह अनंतिम अनुज्ञप्ति निम्नलिखित मुख्य आधारों पर निलंबित या रद्द की जा सकेगी :-

- (एक) विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र में कृषकों को उनकी कृषि उपज का देय भुगतान न करने पर.
- (दो) मंडी फीस, निराश्रित शुल्क का भुगतान अधिनियम, नियमों एवं उपविधियों के अधीन उपबंधों के अनुसार तथा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर न करने पर.
- (तीन) मंडी फीस का अपवचन करने, जारी अनुज्ञापत्र, रसीदे या अन्य जाली मंडी अभिलेखों का संधारण करने तथा जाली दस्तावेज प्रस्तुत करने या कराया जाना पाए जाने पर.
- (चार) मंडी समितियों या बोर्ड, को देय रकम का सूचना-पत्र के अनुसार समय-सीमा के भीतर भुगतान न करने पर, व्यतिक्रमी पाए जाने पर.
- (पांच) अधिनियम, नियमों तथा उसके अधीन बनाई गई उपविधियों द्वारा नियत समय-सीमा के भीतर विहित नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत न करने पर.
- (छ) बोर्ड, मंडी समिति से जारी किए गए निर्देशों की अवज्ञा किया जाना पाए जाने पर.
- (सात) अधिसूचित कृषि उपज का न्यूनतम विहित मात्रा में क्रय न किए जाने पर.

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)



संयुक्त संचालक
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

INDIGRO EXPORTS PRIVATE LIMITED,
5TH FLOOR, 504-505, SHAPATH-V,
S.G. HIGHWAY, OPP. KARNAVATI CLUB,
AHMEDABAD, GUJARAT-380058
GSTIN - 24AADCI0957J1ZK

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2025/ 53 दिनांक 15/01/2025

वैधता अवधि - दिनांक 14/01/2026 तक
क्रय केंद्र सूची

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
1	2	3	4	5	6	7
1	"धान्य तथा दलहन"	वैतूल	वैतूल	-	INDIGRO EXPORTS PVT. LTD, 5TH FLOOR, 504 - 505, SHAPATH-V, S.G. HIGHWAY, OPP. KARNAVATI CLUB, AHMEDABAD, GUJARAT	श्री संतोष राठौर मो.नं- 7509468999
2	"धान्य तथा दलहन"	नसरुल्लागंज	नसरुल्लागंज	-	INDIGRO EXPORTS PVT. LTD, 5TH FLOOR, 504 - 505, SHAPATH-V, S.G. HIGHWAY, OPP. KARNAVATI CLUB, AHMEDABAD, GUJARAT	श्री संतोष राठौर मो.नं- 7509468999

3	"धान्य तथा दलहन"	खरगोन	खरगोन	-	INDIGRO EXPORTS PVT. LTD, 5TH FLOOR, 504 - 505, SHAPATH-V, S.G. HIGHWAY, OPP. KARNAVATI CLUB, AHMEDABAD, GUJARAT	श्री संतोष राठौर मो.नं- 7509468999
4	"धान्य तथा दलहन"	धामनोद	धामनोद	-	INDIGRO EXPORTS PVT. LTD, 5TH FLOOR, 504 - 505, SHAPATH-V, S.G. HIGHWAY, OPP. KARNAVATI CLUB, AHMEDABAD, GUJARAT	श्री संतोष राठौर मो.नं- 7509468999
5	"धान्य तथा दलहन"	कसरावद (निमरानी उपमण्डी)	कसरावद (निमरानी उपमण्डी)	-	INDIGRO EXPORTS PVT. LTD, 5TH FLOOR, 504 - 505, SHAPATH-V, S.G. HIGHWAY, OPP. KARNAVATI CLUB, AHMEDABAD, GUJARAT	श्री संतोष राठौर मो.नं- 7509468999
6	"धान्य तथा दलहन"	गुना	गुना	-	INDIGRO EXPORTS PVT. LTD, 5TH FLOOR, 504 - 505, SHAPATH-V, S.G. HIGHWAY, OPP. KARNAVATI CLUB, AHMEDABAD, GUJARAT	श्री संतोष राठौर मो.नं- 7509468999
7	"धान्य तथा दलहन"	अशोकनगर	अशोकनगर	-	INDIGRO EXPORTS PVT. LTD, 5TH FLOOR, 504 - 505, SHAPATH-V, S.G. HIGHWAY, OPP. KARNAVATI CLUB, AHMEDABAD, GUJARAT	श्री संतोष राठौर मो.नं- 7509468999

8	"धान्य तथा दलहन"	छिन्दवाडा	छिन्दवाडा	-	INDIGRO EXPORTS PVT. LTD, 5TH FLOOR, 504 - 505, SHAPATH-V, S.G. HIGHWAY, OPP. KARNAVATI CLUB, AHMEDABAD, GUJARAT	श्री संतोष राठौर मो.नं- 7509468999
9	"धान्य तथा दलहन"	सिवनी	सिवनी	-	INDIGRO EXPORTS PVT. LTD, 5TH FLOOR, 504 - 505, SHAPATH-V, S.G. HIGHWAY, OPP. KARNAVATI CLUB, AHMEDABAD, GUJARAT	श्री संतोष राठौर मो.नं- 7509468999

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)

Handwritten signature
15/10/15

संयुक्त संचालक

म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
संयुक्त संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल



म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल